

जल प्रबन्धन-धारणा एवं नीति

सुबह सिंह यादव

सारांश

प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ साधनों के कुशल उपयोग करके विकास प्रक्रिया को सतुत गति देने के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये जल स्त्रोत प्रबन्ध एक अपरिहार्य दशा बन चुकी है, विशेषकर भारत जैसी विकासोन्मुख अर्धव्यवस्था में जहां वर्षा अनियन्त्रित, असामयिक व अनिश्चित हो। वर्षा की इस प्रकृति के कारण होने वाली अर्धव्यवस्था की अस्थिरता से कारगर ढंग से निपटने के लिये उपलब्ध जल स्त्रोतों के प्रबन्ध पर वृद्धिशील बल प्रदान किया जा रहा है ताकि सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल को अधिकाधिक बढ़ाया जा सके। मौसम, मृदागठन, स्थलाकृति, खाद मात्रा व अन्य विविध सस्य क्रियाओं के अनुरूप जल के प्रयोग की परिवर्तित पद्धति को जल प्रबन्ध कहते हैं। किसानों को आज भी इन विषयों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथा जहां थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, वह भी सरल भाषा में किसानों तक नहीं पहुंच पाती।

भारत की जल सम्पदा

भारत में जल के विभिन्न पहलुओं पर प्राचीन साहित्य में विस्तृत उल्लेख मिलता है। वेदों में भी कुँओं, नहरों, बांधों एवं तालाबों के वर्णन के साथ-साथ सिंचाई में इन साधनों के महत्व तथा राजा व प्रजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत में अनेक स्थानों पर सदियों पुराने कुँए इनका प्रमाण है। प्रकृति ने इस देश को विपुल जल सम्पदा सौंपी है। सिंचाई के लिये आवश्यक जल प्राप्त करने के हमारे पास प्रमुख: दो स्त्रोत हैं: (1) सतही जल, एवं (2) भूगर्भीय जल। भारत में देश के बाहर के सतही प्रवाह, पूर्व वर्ष की सिंचाई की रोकी गई आद्रता तथा जल वर्णन से प्राप्त ताजा जल की मात्रा 442 मिलियन हेक्टेयर मीटर के बराबर अनुमानित की गई है जो वर्तमान सभी मानवीकृत तरीकों द्वारा सिंचित फसली क्षेत्र से दस गुना अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई के योग्य है। लेकिन इसमें से लगभग 285 मिलियन हेक्टेयर मीटर (65%) वाष्पीकरण से नष्ट हो जाता है अथवा समुद्र में बह जाता है। केवल 110 मिलियन हेक्टेयर मीटर (25%) हरीतमा आच्छादन द्वारा वाष्पन के रूप में प्रयोग लाया जाता है, 9 मिलियन हेक्टेयर मीटर भूगर्भीय जल के रूप में धारण किया जाता है और केवल 35 मिलियन हेक्टेयर मीटर में से 24 मिलियन हेक्टेयर मीटर सतही जल से तथा 11 मिलियन हेक्टेयर मीटर भू-गर्भीय जल सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इन समस्त उपयोगों के बाद शेष 3 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल अन्य प्रयोगों में आता है। यदि अब हम यह मानें की सिंचाई के लिये प्रयोग लाये जाने जल में से 60% तो नित्यन्दन के रूप में लुप्त हो जाता है, तो हम केवल 14 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल ही वर्ष भर में शुद्ध सिंचाई के रूप में प्रयोग कर पाते हैं। यह देश में होने वाले कुल वार्षिक जल अन्तःप्रवाह का केवल 3.2% जल का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें से भी 50% जल धान की फसल उगाने के कार्य में लिया जाता है जिसे सिंचाई जल का सर्वाधिक अकुशल

प्रयोगकर्ता माना जा सकता है क्योंकि यह पानी का प्रयोग तो अधिकतम करती है और उपज कम से कम देती है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है:

तालिका-1 खाद्य फसलों के लिए जल की आवश्यकता तथा प्रति मि.मी. जल कि. ग्रा./हेक्टेयर उपज

फसल	जल आवश्यकता (मि.मी. में)	उपज (कि. ग्रा.)	प्रति मि. मी. जल कि. ग्रा./हे. उपज
चावल	1200	4580	3.7
ज्वार	500	4500	9.0
बाजरा	500	4400	8.0
मक्का	625	5000	8.0
गेंहू	400	5000	12.5

कुछ क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि धान के लिए प्रयोग किये गये, 680 मि. मी. सिंचाई जल में से केवल 480 मि.मी. का ही वास्तविक प्रयोग किया गया तथा शेष गैर उत्पादन वाष्पन गहरे रिसाव के माध्यम से बेकार चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो जलाक्रान्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में धान के लिये करीब 650 मि. मी. जल का प्रयोग किया जाता है, वहां भारत में यह खपत 2,000 मि. मी. है और वह भी इन देशों की तुलना में आधी उपज के साथ। यह मानते हुए कि 1 टन गेंहू पैदा करने के लिये 5000 टन पानी का उपयोग किया जाता है तो 1 टन धान उत्पन्न करने के लिये 18,000 टन पानी की जरूरत पड़ेगी।

किसी मृदा जल नियंत्रित क्षेत्र विशेष के लिये सर्वाधिक अनुकूल फसल प्रारूप अभि-निर्धारित करना तथा उस फसल प्रारूप में उचित विस्तार प्रयासों द्वारा क्रियान्वित करना कमाण्ड क्षेत्र प्रबन्ध की मूल समस्या है। फसल प्रारूप, मृदा घटक, जलवायु, अधिक मांग के समय नहर क्षमता, मौसम के विभिन्न समयों में पानी की उपलब्धता (वर्षा तथा सतही) फसल के बढ़ने की विभिन्न अवस्थाओं में जलावश्यकता, विनियोग के प्रतिकूल तथा सिंचाई जल के वितरणत्मक न्याय के सामाजिक विचारों पर निर्भर करता है।

जल के उपयोग के संबन्ध में धान सर्वाधिक व्यर्थ पूर्ण फसल दिखाई देता है। अल्प समय वाली फसलें कम जल का प्रयोग करेंगी। यदि धान को मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलों से प्रतिस्थापित किया जाता है तो सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। इन शुष्क सिंचित फसलों की शंकर तथा उच्च उपज वाली फसलों से जहां सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विस्तार होगा, वहां दूसरी ओर सिंचित फसलों से भी अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलेगी। विगत समय में बहुत से कमाण्ड क्षेत्रों में गेंहूँ इसलिये नहीं उगाया जा सकता क्योंकि धान की अधिक समय तक खड़ी रहने वाली किस्मों के कारण रबी मौसम में बुवाई के लिये भूमि की उपलब्धता कम रहती है। नियमित सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत आलू, सब्जी, गर्मी का मूंग तथा दूसरी दालें तथा तिलहन उगाने पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक अध्ययन में बताया गया है कि नहर व्यवस्था में 25% जल मांगों में 22.5% तथा खेतों में पानी देने में 21.5% जल का नुकसान होता है। इस प्रकार कुल 69% जल की हानि होती है। यह नुकसान नहरों के कुमलहाने तथा खरपतवार की वृद्धि से होने वाले संचयी नुकसान और अधिक तीव्र होता है खेतों में अपनाई गई सिंचाई की विभिन्न दरों के बीच जल का नुकसान होता है। आप्लावन पद्धति के कारण 7% नाली पद्धति से 30% से 45% मिलियन विधि से 30% से 50%, परिरेखा खाई से 50% से 55% तथा फब्वारा पद्धति से 15% का नुकसान

होता है। भारत में 90% परियोजना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय भूमि उद्धार संस्था के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि जलाशयों से खेतों तक सिंचाई की कार्यकुशलता 20% से 40% है। कुँओं, ट्यूबवेलों के सन्दर्भ में परिवहन नुकसान कम है तथा इन भू-गर्भीय कुँओं के संबंध में जल आवश्यकता 0.65 हेक्टेयर मी. प्रति हे. है जबकि नहर सिंचाई के लिये प्रति हेक्टेयर फसली क्षेत्र के लिये जल आवश्यकता 0.90 हेक्टेयर है।

जल के प्रभावी उपयोग की धारणा को जल सामंजस्य, फसल सामंजस्य तथा मृदा सामंजस्य की गत्यात्मक प्रक्रिया के सम्मेलन के रूप में देखा जा सकता है। यहां पर (1) जल सामंजस्य का अभिप्राय विभिन्न समय बिन्दुओं पर जल की उपलब्धता से है, (2) फसल सामंजस्य का अर्थ फसलों को बोने जोतने, उगने, फूल आने से पूर्व की अवस्था फूल आने पर दाना बनने आदि विभिन्न निर्णायक अवस्थाओं में जल की आवश्यकता से है, और (3) मृदा सामंजस्य से तात्पर्य इसकी आद्रता धारणा क्षमता तथा इसके कुमहलाने से है।

जल ले जाने एवं वितरण कुशलता बढ़ाने हेतु चार प्रमुख बातों पर केन्द्रित करना होगा:

1. पृष्ठीय नालियों में अप्रेवश्य पदार्थ का अस्तर करना,
2. नालियों में अपरदन रोकने हेतु संरचनाओं, विनाशों का प्रयोग,
3. भूमिगत पाईप लाइनों द्वारा जल ले जाना, एवं
4. जल के वितरण में जल हास की रोकथाम।

सामान्यतः जल हानि नहर अथवा नाली की लम्बाई, जिस भूमि से नहर निकलती है, उस भूमि का गठन तथा मौसम जैसे कारकों पर निर्भर करती है, अतः प्रति इकाई उपभोग जल से उपज बढ़ाने, इकाई सिंचित भूमि की उपज को बढ़ाने तथा उपयुक्त भूमि में जल प्रबन्ध तकनीकों द्वारा सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने तथा उपयुक्त भूमि में जल प्रबन्ध तकनीकों द्वारा सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के मूल उद्देश्यों के अनुरूप सामंजस्य तकनीक के व्यवस्थित प्रसार को अपनाया होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि क्या जल अथवा भूमि ज्यादा दुर्लभ भूमि की उपज बढ़ाने पर बल देना होगा। उत्तरीगंगा के मैदानों में बर्फीली नदियों तथा प्रचुर मानसून के बावजूद, जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि, जल की अपेक्षा एक दुर्लभ साधन है। अतः हमारा ध्यान बहुफसल कार्यक्रम व निकास द्वारा उपलब्ध भूमि की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने पर होगा। प्रायद्वीपीय वाली फसलों में परिवर्तित करके जल की प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाना बेहतर होगा। इसके लिये फसलों का स्थानीयकरण, नहरों का रेखाकरण सिंचाई की रोस्टर पद्धति तथा रात्रि में सिंचाई करने जैसे उपाय व्यवहारिक होंगे।

सिंचाई के अर्न्तगत क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये निम्न तरीकों को अपनाया जा सकता है।

1. जल नुकसान को घटाना,
2. फसल प्रारूप बदलना,
3. छोटी अवधि वाली फसलों की बुवाई,
4. जल की राशनिंग,
5. बहु फसल कार्यक्रम तथा
6. नियमित जल आपूर्ति की दशा में ग्रीष्मकालीन सिंचाई इत्यादि।

लेकिन चाहे पानी अथवा भूमि दुर्लभ साधन रहा हो, उपरोक्त व्यवस्था अभी भी काबू से बाहर रही हैं इसलिये सिंचित क्षेत्रों में फसलों की संघमता को बढ़ाकर अथवा असिंचित कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई के अर्न्तगत लाकर सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

मृदा जल सम्बन्ध

सिंचाई से मृदा की प्रतिक्रिया बहुत जटिल है और सिंचाई को लाभप्रद बनाने हेतु इस सम्बन्ध की अवहेलना नहीं की जा सकती। मृदा की सिंचाई उपयुक्तता, प्रभावी मृदा आवरण, सतही बनावट, उप मृदा का निकास, मृदा की संरचना,

कटाव बाधा लवण तत्व, द्रविक सुचालकता तथा स्थलकृति पर निर्भर करती है। मिट्टी की आद्रता धारण करने की क्षमता, फसलों के प्रकार तथा पौध अन्तः क्रिया उत्पादन को निर्धारित करती है। कमजोर मृदा व्यापती से सतह मृदा पर जलाक्रान्त, लगनता, खरपतवार, आक्सीजन तथा पोषण संबंधी समस्यायें उत्पन्न होती है। भूमि गठन, आकर, श्रेणीकरण और इसके लिये उपयुक्त सिंचाई आदि मृदा की विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है, सिंचाई आयोग के अनुसार, सिंचाई सम्भाव्य के अल्प उपयोग का मुख्य कारण खेतों में नालिया बनाने की कमी रहा है, अन्य नालियों के लिये 34 रुपये प्रति एकड़ का विनियोग करने पर किसानों की आय में 350 रुपये प्रति एकड़ वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की मृदा एवं स्थलाकृति को विभिन्न प्रकार के मूल्यों की जरूरत होगी तथा इसके लिये भी नमूने के प्रमाणीकरण की जरूरत होगी।

समेकन एवं समकोणीकरण

कमाण्ड क्षेत्र में समीकरण तथा खेतों के समकोणीकरण खेतों के जल मार्गों, खेतों की नालियों, तथ सम्पर्क सडक के प्रदर्शन में सहायक होता है। जल मार्गों तथा नालियों की लम्बाई सही समय पर होनी चाहिए। समेकरण के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं।

1. यह जल मार्गों की लम्बाई को कम करता है जो अन्यथा बिखरी हुई जोतों के सन्दर्भ में टेढ़ी मेंढी होती है।
2. समेन परिरेखा प्रदर्शन से भूमि समतलीकरण की परिसीमा को घटाता है।
3. यह सम्पर्क सडकों के साथ-साथ में कृषि परिचालन को भी सुविधाजनक बनाता है तथा एक ही स्थान पर जोतों को सकेन्द्रित करता है।
4. समस्त फसल प्रारूप (एक ही निकास से) भी समेकन से संभव होता है।
5. समेकन सडकों, जल मार्गों तथा खेत के गूलों के बीच अनेकों तिरछी संरचनाओं को न्यूनतम करने में सहायक होता है।
6. समेकन जल मार्गों व निर्गम द्वार के निकट लघु जोतों का पता लगाने में सहायक होता है।
7. यह भी पाया गया है कि समेकन से उपज में 25% तथा निर्गत आगत अनुपात में 14% की वृद्धि हुई।

यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि जोतों का समेकन तथा समकोणीकरण खेत जल मार्गों की लम्बाई को घटायेगा तथा जल मार्गों व श्वेत नालियों के निर्माण समकोणीकरण के मन्द गति से स्वीकार करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समेकन तथा समकोणीकरण के लिए प्रतीक्षा किये बिना ही जल मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

जल निकास

घटिया जल निकास सिंचित क्षेत्र के लिये बहुत घातक है। पानी के संचय के कारण पानी का स्तर बढ़ जाता है और कैशिकीय क्रिया के द्वारा जल से सना हुआ नमक सतह पर आ जाता है तथा लवण उत्पन्न कर देता है जो भूमि की उत्पादकता के लिये बहुत नुकसानदायक है। जापान के प्रोफसर फाकुदा ने अच्छी सिंचाई को इरिनेज की सजा दी है। यह पाया गया है कि निकास वाले क्षेत्रों में धान के लिए भू तापमान गैर-सिंचित क्षेत्रों से 1.5 ज्यादा है। इससे बुवाई से भी सहायता मिलती है। इच्छा निकास जुताई वाली मशीनों की वृद्धिशील परिपथता द्वारा जुताई में भी सहायक होता है। निकास का प्रदर्शन एवं गहराई, मृदा तथा भूगर्भीय जल की दशाओं पर निर्भर करेगा। उच्च परिस्त्वण वाली मृदाओं से उप-मृदा सघनता तथा मृदा सजावट की जरूरत पड़ेगी, अथवा बहुत सा सिंचाई जल निकास नहरों के माध्यम से गहरे रिसाव द्वारा व्यर्थ चला जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में जल स्तर को उचित निकास द्वारा कोशिकीय परस से उसे पांच मीटर नीचे रखा जाना चाहिए अन्यथा लवणता ऊपर आयेगी।

1959 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि निकास परियोजना लागत का भाग होनी चाहिए लेकिन बहुत सारे मामलों में इस सलाह पर अमल नहीं किया गया। मुख्य तथा मध्यवर्ती निकास की कमी के कारण खेतों में

नालियों का निर्माण अवरूढ़ हुआ है। यह भी देखने में आया है कि बहुत सारी नालियों पर खेती करने के लिए अनाधि कृत कब्जा कर लिया गया है या गाद भरने अथवा खरपतवार के उगने से ये नालियां बन्द सी हो गईं। इन प्राकृतिक नालियों, मुख्य नालियों तथा मध्यवर्ती नालियों को साफ करने के लिये एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। निकास व्यवस्था से गेहूँ का उत्पादन 4.2 टन प्रति हेक्टेयर से 6.87 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गया है तथा लवणता में भी अत्यधिक कमी आई है।

यह उल्लेखनीय है कि नहरों की पंक्तिबद्धता तथा परिवहन जलाक्रान्त को स्थगित या प्रतिबन्धित करेंगे तो ऐसी स्थिति में भूगर्भीय जल का प्रयोग भी उपयोगी होगा। निकास उदय तथा क्षेतिज दोनों ही प्रकार का हो सकता है, लेकिन साथ में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भूगर्भीय जल के संदर्भ में लवणता का नमक रहित रहना संभव नहीं है।

जल स्रोत प्रबन्ध की समस्यायें

जल प्रबन्ध की मुख्यतः चार समस्यायें हैं:

1. सिंचाई विभाग तथा कृषि विभाग में सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वन में समन्वय का अभाव।
2. पानी ले जाने, वितरण व खेत में प्रयोग करने के नियन्त्रित एवं कारगर उपाय खोजना व अपनाना जिससे जल के वाष्पन, बहाव व रिसाव के रूप में हानि न हो।
3. मृदा गठन, स्थलाकृति व अन्य भौतिक गुणों के आधार पर विभिन्न मृदाओं की सिंचाई के लिये उपयोगिता निर्धारित करके उचित मृदा जल प्रबन्ध के तरीके अपनाना।
4. मौसम, मृदा सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि के अनुरूप उपयुक्त फसल, चक्र व समय योजना बनाना।

इसके अतिरिक्त योजनाबद्ध विकास के दौरान रेलवे लाइन, नहर नहरों में आवास निर्माण तीव्र गति से हुआ जिससे जल निकास के लिये पयाप्त नाली एवं पुलियों के निर्माण पर बल नहीं दिया गया। इससे प्राकृतिक बहाव में रुकावट पैदा होने जल या तो नये रास्ते से होकर गुजरता है या नीचे स्थानों पर रुक जाता है। जलाक्रान्त नीचे स्थानों पर जल रुकने की दशा का ही नाम है। पिछले दशकों में नहरों का जाल बिछ गया है ये नहरें जब लवण वाली भूमि से गुजरती हैं तो लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जिससे क्षारीयता की समस्या पैदा हुई है। जनसंख्या के दबाव के कारण जब भी कृषि क्षेत्रों से होकर बहने लगा तो एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो गई।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस स्थिति से निपटने के लिये क्या किया जाये। इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव सामने आये हैं, उनको अपनाने के साथ-साथ यदि भू-गर्भीय जल का संयुक्त अथवा यौगिक प्रयोग किया जाये तो वांछित परिणाम सामने आ सकते हैं।

भू-गर्भीय जल का संयुक्त प्रयोग

भारत की कृषि जलवायु दशाओं की वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में तथा अनियमित तथा बेमेल वर्षा व जलाशयों हेतु भण्डारा स्थान का अभाव, जलाक्रान्ति एवं भू-जोतो के बिखराव में भूगर्भीय जल का प्रयोग बहुत लाभदायक तथा अपरिहार्य है। सतही तथा भूगर्भीय जल का संयुक्त प्रयोग कई अर्थों में सहायता करता है।

1. कम वर्षा के दौरान भूगर्भीय जल साधनों से पम्पों द्वारा पानी निकाल कर नहरी पानी को बढ़ाया जा सकता है।
2. सतही परिवहन प्रणाली को भी भूगर्भीय जल के उपयोग हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
3. यदि भूगर्भीय जल लवणायुक्त है तो सतही जल के साथ मिलाने की प्रक्रिया द्वारा इसका प्रयोग नहरी पानी के साथ किया जा सकता है।

4. भूगर्भीय जल का प्रयोग करके उदग्र जल निकास को संभव बनाया जा सकता है और जलाक्रान्त तथा लवणायुक्त के खतरे को कम किया जा सकता है।
5. भूगर्भीय जल का प्रयोग सस्य प्राप्य में लचीलेपन को बढ़ाता है।
6. भूगर्भीय जल का प्रयोग सामूहिक पौधशाला को स्थापित करने तथा गहरी बुवाई में सहायक होता है ताकि बहु फसल कार्यक्रम संभव हो सके।

इन उपरोक्त सुझावों के आधार पर किसानों को मार्गदर्शन देने के लिये पर्याप्त विस्तार प्रयासों की आवश्यकता है ताकि (1) फसलों के उत्पादन की प्रति इकाई मात्रा लागत घट सके, (2) फसलोत्पादकता उत्पादन तथा लाभ बढ़ सके, और (3) सिंचाई के उन प्रतिकूल प्रभावों पर भी काबू पाया जा सके, जिनका आज हम सामना कर रहे हैं।